न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./104/2025/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
तिलोकसिंह पुत्र सवाईसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी बाड़मेर गादान, तहसील व जिला बाड़मेर।	1. उम्मेदसिंह पुत्र सवाईसिंह 2. जयसिंह पुत्र सवाईसिंह 3. जालमसिंह पुत्र सवाईसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी बाड़मेर गादान, तहसील व जिला बाड़मेर। 4. श्रीमान तहसीलदार, बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 83/2022 बउनवान तिलोकसिंह बनाम उम्मेदसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.11.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः–

1. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः–08.10.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि अपीलांट व रेस्पों. संख्या 01 से 03 की पैतृक संयुक्त खातेदारी का मौजा बाड़मेर गादान के खेत खसरा संख्या 2849/2216 रकबा 14.0992 हेक्टेयर, खसरा संख्या 3417/2216 रकबा 0.2995 हेक्टेयर भूमि आई हुई है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी में वादी/अपीलांट व रेस्पों. की संयुक्त खातेदारी व पक्षकारान का अपने–अपने हिस्से अनुसार सहकृषक बहैसियत कब्जा–काश्त चला आ रहा है। राजस्व रेकर्ड में हिस्से अंकित हैं। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान कब्जा–काश्त काबिज हैं। वर्त्तमान में वादी व प्रतिवादी के बीच में विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण खेत में हिस्से को लेकर विवाद बना रहता है। वादी कब्जे काश्त एवं वादी के खेत में प्रतिवादीगण द्वारा दखलअंदाजी की जा रही है तथा वादीगण के कब्जे काश्त को जबरन उसके हिस्से से बेदखल करने एवं

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अजनबी क्रेता को बेचान पर पर उतारू हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण वादग्रस्त खसरान में अपने कब्जा काश्त के अनुसार भूमि को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करने के अधिकारी हैं। जिस हेतु बंटवारे का वाद पेश किया था। जिस पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। मौके पर पक्षकारान के मध्य हुए बाहमी बंटवारे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना ही एकतरफा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके व्यथित हस्तगत अपील पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। वकील अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा अंतिम बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि अपीलांट व रेस्पों. संख्या 01 से 03 की पैतृक संयुक्त खातेदारी का मौजा बाड़मेर गादान के खेत खसरा संख्या 2849/2216 रकबा 14.0992 हेक्टेयर, खसरा संख्या 3417/2216 रकबा 0.2995 हेक्टेयर भूमि आई हुई है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी में वादी/रेस्पोडेन्ट व अपीलांट की संयुक्त खातेदारी व पक्षकारान का अपने–अपने हिस्से अनुसार सहकृषक बहैसियत कब्जा–काश्त चला आ रहा है। राजस्व रेकर्ड में हिस्से अंकित हैं। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान कब्जा–काश्त काबिज हैं। वर्तमान में वादी व प्रतिवादी के बीच में विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण खेत में हिस्से को लेकर विवाद बना रहता है। वादी कब्जे काश्त एवं वादी के खेत में प्रतिवादीगण द्वारा दखलअंदाजी की जा रही है तथा वादीगण के कब्जे काश्त को जबरन उसके हिस्से से बेदखल करने एवं अजनबी क्रेता को बेचान पर पर उतारू हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण वादग्रस्त खसरान में अपने कब्जा काश्त के अनुसार भूमि को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करने के अधिकारी हैं। जिस हेतु बंटवारे का वाद पेश किया था। जिस पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के मध्य हुये बाहमी बंटवारे व कब्जा–काश्त के विपरीत जाकर तैयार लिया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है उक्त नियमानुसर तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर जाकर सभी पक्षकारान को

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सूचित करते हुए पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना आवश्यक होता है। किन्तु प्रश्नगत विभाजन प्रस्तावं में इसका अभाव पाया जाता है। विभाजन प्रस्ताव द्वारा अपीलांट की ढाणी, टांका, चारागाह को रेस्पों. संख्या 1 के कब्जे–काश्त में सम्मिलित कर दिया गया हैं जो विधि द्वारा बाधित है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के विपरीत जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। उक्त कथनों को नजरअंदाज करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया है, जिससे अपीलांट के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उक्त कथनों से स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपीलांट के भौतिक रूप से काबिज काश्त वाली आराजी को रेस्पों. संख्या 1 के हिस्से में सम्मिलित कर दिया गया है। जो विधि के विपरीत है। भौतिक रूप से कब्जे के विरूद्ध जाकर रंग भरा गया है जिसकी जानकारी अपीलांट को तत्समय नहीं हो सकी। अर्सा 10 दिन पूर्व रेस्पों. मौके पर आकर अपीलांट की रहवासीय ढाणी को हटाने का प्रयास किया गया। तब अपीलांट को उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तब अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलांट स्वयं की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट द्वारा पढ सुनकर व समझ कर हस्ताक्षर किये जाने का अंकन है। उक्तानुसार अपीलांट द्वारा किये कथनों पर विश्वास किया जाता है तो फिर प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना संभव ही नहीं है। अपीलांट द्वारा हस्ताक्षर के संबंध में किये गये कथन में कोई सार नहीं है। अपीलांट की आपत्तियों/तथ्यों का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निस्तारण किया गया। अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हुए बंटवारा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया उसके पश्चात स्वीकारोक्ति से मुकर जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई उसे बाकायदा भूमिधारक तहसीलदार के द्वारा मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवत्ता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर अपीलाधीन अंतिम डिक्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव के संबंध में भी अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार कोई उज्र–ऐतराज दर्ज नहीं करवाया गया है। जिससे उनकी विभाजन प्रस्ताव में सहमति प्रतीत होती है। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए। अपीलांट की उपस्थिति में हल्का पटवारी के साथ तहसीलदार द्वारा निर्देशानुसार विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है। अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 83/2022 बउनवान तिलोकसिंह बनाम उम्मेदसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.11.2024 को यथावत रखा जाता है।

8/10/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/10/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर